संख्या-52/2024/932-22-4-2024-1855368-1

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 27 नवंबर, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक-2056 के लघुशीर्ष 800-03-कारागार प्रशिक्षण विद्यालय के मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत रू0 35.00 लाख से समलघुशीर्ष के अन्तर्गत मानक मद 29-अनुरक्षण में रू0 20.00 लाख एवं 42-अन्य व्यय में रू0 15.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 35.00 लाख से समलघुशीर्ष के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों में रू0 35.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29511/पुनर्विनियोग/2024-25, दिनांक 30-09-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक-2056 के लघुशीर्ष 800-03-कारागार प्रशिक्षण विद्यालय के मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत रू0 35.00 लाख से समलघुशीर्ष के अन्तर्गत मानक मद 29-अनुरक्षण में रू0 20.00 लाख एवं 42-अन्य व्यय में रू0 15.00 लाख इस प्रकार कुल रू0 35.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30-09-2024 के माध्यम से प्राप्त पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर कतिपय शर्तों के अधीन रू0 17.00 लाख की धनराशि निम्नलिखित लेखाशीर्षक में पुनर्विनियोजित की गयी है:-

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	**लेखाशीर्ष**	**मानक मद**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग**	**वित्तीय वर्ष**
025	2056008000300 (कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--)	01 (वेतन)	2,86,44,000 रुपये दो करोड़ छियासी लाख चौवालीस हजार मात्र	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	35,00,000 रुपये पैंतीस लाख मात्र	17,00,000 रुपये सत्रह लाख मात्र	2,69,44,000 रुपये दो करोड़ उनहत्तर लाख चौवालीस हजार मात्र	2024-2025
कुल					₹ 35,00,000	₹ 17,00,000		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056008000300 (कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--)	42 (अन्य व्यय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	7,00,000 रुपये सात लाख मात्र	17,00,000 रुपये सत्रह लाख मात्र	2024-2025
025	2056008000300 (कारागार प्रशिक्षण विद्यालय--)	29 (अनुरक्षण)	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	2024-2025
कुल				₹ 35,00,000	₹ 17,00,000		

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 एवं 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

(2) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में महानिरीक्षक कारागार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) महानिरीक्षक कारागार द्वारा जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

(4) जिस मद से पूनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

(5) महानिरीक्षक कारागार द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय-- **मानक मद** 29 अनुरक्षण (*2*) रुपये 7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 2056008000300 कारागार प्रशिक्षण विद्यालय-- **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-52/2024/ 932-22-4-2024-1855368-1, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल-आडिट) उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।